HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12965/2026
CNR: RJHC020794642026 | URN: CRLMB / 23959U / 2026

Asif Son Of Umar, Aged About 18 Years, Resident Of Echwadi Police Station Punhana District Nooh Mewat, Haryana. At Present In Sub Jail, Kishangarhbas.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Pp.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

10/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना जैराली जिला–खैरथल तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–डी में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि मौके से पांच व्यक्तियों को पकड़ा जाना बताया गया है, उनमें से चार व्यक्तियों को विद्वान सैशन न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने साईबर ठगी करके 55,750/–रूपये की राशि प्राप्त की, जबकि केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार यह राशि 48,750/–रूपये ही है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त अभियुक्त आरिफ, जिस पर 33,100/–रूपये की साईबर ठगी किए जाने का आक्षेप है, को विद्वान सैशन न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 4.7.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामला मजिस्ट्रेट

न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सोचे–समझे ढंग से साईबर ठगी का अपराध कारित किया है तथा 55,750/–रूपये प्राप्त किए गये हैं। उसके विरूद्ध पांच शिकायतें समन्वय पोर्टल पर दर्ज है। उनका तर्क है कि केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार प्रार्थी द्वारा जो राशि प्राप्त प्राप्त की गई उसमें एक राशि दो बार दर्शाई गई है। प्रार्थी पर गंभीर अपराध का आक्षेप है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार इस मामले में मौके पर पांच व्यक्तियों का पकड़ा जाना बताया गया है, जिनमें से चार व्यक्तियों को विद्वान सैशन न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने साईबर ठगी करके 55,750/–रूपये की राशि प्राप्त की, जबकि केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार यह राशि 48,750/–ही प्रकट हो रही है। सहअभियुक्त अभियुक्त आरिफ, जिस पर 33,100/–रूपये की साईबर ठगी किए जाने का आक्षेप है, को विद्वान सैशन न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 4.7.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

57/JITENDRA SINGH PANWAR